न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-3139-एक/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.08.2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 754/अपील/11-12

राकेश कुमार अवधिया पुत्र कृष्ण कुमार अवधिया,
निवासी- ग्राम कोटहा, तह. गोपदबनास जिला-सीधी (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. श्रीमती मानवती सोनी पुत्री स्व. श्री रामकिशोर सोनी
2. श्रीमती देवी सोनी पुत्री स्व. श्री रामकिशोर सोनी
3. रामरूप गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता
   निवासीगण - ग्राम कोटहा, तह. गोपदबनास
   जिला-सीधी (म.प्र.) (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश शासन .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

आदेश

(आज दिनांक.....14.05.19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 754/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा

तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी के न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटहा स्थित भूमि खसरा नं. 82 मी. रकवा 0.012 हे. वर्ष 07-08 के पूर्व तक जगन्नाथ पिता महावीर सोनी के नाम दर्ज था। वर्ष 07-08 में हल्का पटवारी द्वारा रोस्टर के समय छोड़ दिया गया है। और वर्तमान में जगन्नाथ सोनी की मृत्यु हो चुकी है। अत: उसके विधिक वारिसों का नाम खसरे में दर्ज कराया जाए। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 22.09.2010 द्वारा खसरे की प्रविष्टि को सुधार करते हुए अनावेदकगण के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 19.03.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 27.08.2012 स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए।

4- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश में स्पष्ट किया है कि मृत खातेदार जगन्नाथ सोनी एवं रामलौटन के जायज वारिस अनावेदक क्र. 1 व 2 थे जिसका वारिसाना प्रमाणित किया गया था। चूंकि अपंजीकृत दस्तावेज वर्ष 1988 का है जबकि वर्ष 2006-07 में जगन्नाथ सोनी भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहे हैं। ऐसी स्थिति में रामलोटन द्वारा भूमि विक्रय कैसे की गई, जबकि रामलोटन भूमिस्वामी नहीं है। प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा मंगाया जाकर विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है, जिस अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर विचार किए बिना निरस्त करने में भूल की है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर

विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अनावेदक क्र. 1 व 2 मृतक जगन्नाथ सोनी के विधिक वारिसान है। जिनके नाम खसरा दर्ज करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त एवं तहसीलदार का आदेश उचित वैधानिक एवं न्यायसंगत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है। तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2010 यथावत रखा जाता है।

(बी.एम. शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर